



ईरोड में रोड शो के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए।

पलानीस्वामी ‘गद्दार’ हैं, भाजपा तमिलनाडु के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ईरोड। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कश्गम (अन्नाद्रमुक) प्रमुख एडम्पादी के. पलानीस्वामी को ‘गद्दार’ कहा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा को तमिलनाडु के लोगों ने वोट नहीं दिया, इसी वजह से केंद्र

ने राज्य के लिए किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार कई परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है, इसलिए विपक्षी दल हताश हैं।

उन्होंने कहा, “मैं यह पूछना पसंद नहीं करता कि विधानसभा में विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए ऐसी परियोजनाएं लागू की हैं या नहीं।

उन्होंने क्या किया है? केवल विश्वासघात।” मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, “पलानीस्वामी कहते हैं कि वह किसान हैं और अब भी खेती करते हैं। लेकिन वह गद्दार हैं और लगातार विश्वासघात कर रहे हैं। उनके बारे में केवल यही कहा जा सकता है। उन्हें किसान बताना सबे किसानों का अपमान करने के समान होगा।”

स्टालिन ने कहा कि अगर पलानीस्वामी सबे किसान होते तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राज्य की मांग स्वीकार करने का अनुरोध करना चाहिए था या नहीं? तमिलनाडु ने केंद्र से धान की खरीद के लिए नमी की स्वीकार्य सीमा को 22 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पलानीस्वामी की विश्वासघात की सूची में कोयंबटूर का नाम भी है क्योंकि केंद्र ने कोयंबटूर और मद्रास में मेट्रो रेल स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।



बुधवार को तमिल विकास और सूचना विभाग की ओर से इरोड जिले के अराचलूर के ओडानिलाई में स्थित थेरन चित्रमलाई मण्डपम में थेरन चित्रमलाई तिरुवस्वा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। इस अवसर पर नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू, लोक निर्माण मंत्री ई.वी. वेलु, आवास, निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री के. मुथुसामी, तमिल विकास और सूचना मंत्री एम.पी. स्वामीनाथन, आदि द्रविड़ कल्याण मंत्री डॉ. एम.ए. मथिवेयन आदि उपस्थित थे।

भव्य जन्मदिन समारोह टालें, बारिश प्रभावितों की मदद करें: उदयनिधि स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बुधवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे 27 नवंबर को उनके 48वें जन्मदिन पर भव्य समारोह आयोजित करने के बजाय राज्य के बारिश प्रभावित दक्षिणी जिलों में राहत प्रयासों को प्राथमिकता दें।

उन्होंने कहा, द्रविड़ मुनेत्र कश्गम (द्रमुक) युवा शाखा के सचिव उदयनिधि ने कहा कि जन्मदिन खुशी लाता है लेकिन यह भव्य समारोहों के पक्ष में नहीं है।

उन्होंने कहा, इसके बजाय मैं संतुष्ट होऊंगा अगर आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जो नीतिगत कार्य और जनसेवा का मिश्रण हों। उपमुख्यमंत्री ने पार्टी सदस्यों से गरीबों, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर और अन्य वंचित समूहों की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ता द्रविड़ मॉडल सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले छोटे आयोजन करेंगे तो उन्हें ज्यादा खुशी मिलेगी।

स्टालिन ने राज्य में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का जिक्र करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को आवेदन फॉर्म भरने और जमा करने में सहायता करने तथा बूथ स्तर पर काम करने का आग्रह किया। उदयनिधि ने अपने आवास पर आने वाले लोगों से सोने की जरी वाली शॉल, बुके और महंगे उपहार लाने से बचने का अनुरोध किया। उन्होंने इसके बजाय कितारें, काले-लाल रंग की धोती या महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद भेंट करने का सुझाव दिया।



दक्षिण रेलवे में संविधान दिवस मनाया गया

चेन्नई। 26 नवम्बर को चेन्नई में दक्षिण रेलवे के मुख्यालय में दक्षिण रेलवे के अपर महाप्रबंधक विपिन कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के समक्ष संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इसी प्रकार, सभी छह मंडलों, अर्थात् चेन्नई, सेलम, तिरुचिरापल्ली, मद्रास, के मंडल रेल प्रबंधकों और संबंधित मंडल मुख्यालयों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। दक्षिण रेलवे की कार्यशालाओं में भी संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कर्मचारियों और जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर और बैनर के साथ-साथ प्रस्तावना की प्रतिकृतियां भी प्रमुखता से प्रदर्शित की गईं।



संविधान दिवस

चेन्नई। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने 26 नवम्बर को संविधान दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर, पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत के संविधान को बनाए रखने की शपथ ली और न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। संविधान दिवस का जश्न चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल्यों के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने और देश और उसके नागरिकों की सेवा करने के अपने कमिटमेंट को फिर से पक्का करने का मौका है।



सीवीआरडीई ने 2025 का संविधान दिवस मनाया

चेन्नई। भारत के संविधान को अपनाने की याद में 26 नवंबर को सीवीआरडीई में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर, सीवीआरडीई के साइटिस्ट, ऑफिसर, स्टॉफ ने सीवीआरडीई के डायरेक्टर की मौजूदगी में प्रस्तावना पढ़कर संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक हालात को अपनाने की कसम खाई। बेहतरीन साइटिस्ट और सीवीआरडीई के डायरेक्टर जे राजेश कुमार ने मौजूद लोगों को संबोधित किया और भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों और बुनियादी अधिकारों और कर्तव्यों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान दिवस मनाने का असली मकसद संविधान के चार आदर्शों यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को लागू करना और निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में इन सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करना है।



चेन्नई में 26 नवम्बर को विकलांगों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद देने के लिए फीनिक्स विकलांग व्यक्ति संघ के महासचिव जयप्रकाश, सचिव मणिकंदन, उपसचिव मुरुगा मुरुगन और नंबियूर पंचायत वार्ड के पार्षद के रूप में राधिका ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

विक्रम सोलर का तमिलनाडु में मॉड्यूल विनिर्माण कारखाना चालू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। सौर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी विक्रम सोलर ने बुधवार को नई दिल्ली में कहा कि तमिलनाडु में उसका पांच गीगावाट क्षमता वाला पूरी तरह से स्वचालित प्लांट संयंत्र चालू हो गया है। इसके साथ उसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 9.5 गीगावाट हो गई है।

कंपनी ने बयान में कहा कि 2%,000 वर्ग मीटर में फैला यह कारखाना अत्याधुनिक टॉपकॉन प्रोद्योगिकी पर आधारित है। अत्याधुनिक वलम संयंत्र में विनिर्मित सालाना पांच गीगावाट की अत्याधुनिक मॉड्यूल उत्पादन क्षमता जोड़ेगा। इस अगली पीढ़ी के विस्तार के साथ, अब कंपनी की कुल विनिर्माण क्षमता 9.5 गीगावाट प्रति वर्ष हो गई है। विक्रम सोलर के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ज्ञानेश चौधरी ने बयान में कहा, इस पांच गीगावाट क्षमता वाले संयंत्र को इसी वर्ष चालू करना एक साहसिक प्रतिबद्धता थी। इसे पूरा करना अगले दशक की मांग के पैमाने, गति और नवोन्मेष के लिए हमारी तत्परता का संकेत है।

उन्होंने कहा, इस उद्योग में 20 से अधिक वर्ष पूरे होने के साथ, यह सुविधा आगे आने वाली चुनौतियों को आकार देने के हमारे इरादे को बताती है। अत्याधुनिक विनिर्माण, स्वचालन-आधारित गुणवत्ता और प्रोद्योगिकी मंच इस क्षेत्र के लिए नए मानक बनेंगे। वलम संयंत्र में विनिर्मित मॉड्यूल पूरे देश में ग्राहकों को आपूर्ति किए जाएंगे। इससे नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों, वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को सहायता मिलेगी।

आईआईटी मद्रास ने बंदरगाहों के लिए देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के शोधकर्ताओं ने देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की है और इसे बंदरगाहों में उपयोग में लाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उल्लेखित आवश्यकताओं के आधार पर आईआईटी मद्रास स्थित राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) ने इस प्रणाली को तैयार किया है।

एनटीसीपीडब्ल्यूसी के प्रमुख के. मुरली के अनुसार, यह प्रणाली भारतीय समुद्री क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगी तथा आयात पर निर्भरता कम करेगी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी प्रणाली से पोत की आयातजाहें से संबंधित रणनीतिक डेटा के लीक होने का खतरा नहीं होता। मुरली ने कहा, “यह प्रणाली आसानी से उन्नत की जा सकती है ताकि संबंधित हितधारकों की लगातार बदलती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जा सके। यह प्रणाली पहले ही केरल में स्थित विंजिजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड (वीआईएसएल) में लागू कर दी गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मई में किया था।” उन्होंने कहा, “पश्चिमी तट पर स्थित दो अन्य बंदरगाह भी इस प्रणाली को लागू करने के लिए आईआईटी मद्रास से बातचीत कर रहे हैं। स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन का एक प्रमुख लाभ यह है कि सरकार के पास इसके स्रोत कोड, डेटाबेस और समाधान के विभिन्न पहलुओं पर पूरा रणनीतिक नियंत्रण होता है।”

सच्चे संघवाद को कायम रखने और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे: स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को आश्चर्य किया कि वे संविधान में निहित सच्चे संघवाद को कायम रखने और हर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। संविधान दिवस पर अपने संदेश में स्टालिन ने कहा कि भारत सभी लोगों का है, न कि किसी एक संस्कृति या विचारधारा का।

उन्होंने कहा, इस संविधान दिवस पर, हम बाबासाहेब आंबेडकर के दृष्टिकोण को कमजोर करने वाली हर ताकत का विरोध करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। संविधान में निहित सच्चे संघवाद को कायम रखने और हर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे संविधान को सभी श्रद्धांजलि यही है कि हम अपने गणतंत्र की रक्षा उन लोगों से करें जो इसके न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वादे से डरते हैं।

सबरीमला सोना मामले में झूठे आरोप लगाने वाले यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज

तिरुवनंतपुरम/भाषा। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सबरीमला सोना चोरी मामले में सोशल मीडिया के जरिए कथित तौर पर ‘झूठे’ आरोप लगाने के लिए एक यूट्यूबर पर मामला दर्ज किया गया है। म्यूजियम पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एस. श्रीजीत की शिकायत के आधार पर मंगलवार को मामला दर्ज कर लिया।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी के.एम. शाहजहां ने ‘यूट्यूब’ में अपने चैनल पर झूठी टिप्पणियों की तथा सबरीमला के मुख्य समन्वयक श्रीजीत और पुलिस बल पर मंदिर से सोने की कथित चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया। उसपर धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले बयानों वाले वीडियो प्रसारित करने का भी आरोप है। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 196(1)(ए) (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) के तहत दर्ज किया गया है। सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर से सोने की कथित चोरी के मामले को लेकर राज्य में राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया है। इस घटना की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है और जांच के तहत त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के दो पूर्व अध्यक्षों सहित कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

सबरीमला सोना मामले में टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पद्मकुमार को दो दिन की एसआईटी हिरासत में भेजा गया

कोन्नम/भाषा। केरल की एक अदालत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता और टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार को सबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर से सोना गायब होने से संबंधित मामले की जांच कर रही एसआईटी की दो दिन की हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि विशेष सतर्कता अदालत ने श्रीकोविल (गर्भगृह) के चौखटों से सोना गायब होने के संबंध में पद्मकुमार से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेने के विशेष जांच दल (एसआईटी) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें बृहस्पतिवार शाम को अदालत में पेश किया जाएगा। पद्मकुमार को पिछले बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था। माकपा के पूर्व विधायक पद्मकुमार 2019 में टीडीबी के अध्यक्ष थे।

को 408 रन से हराकर मूंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।

तब ने मैच के बाद कहा, 'यह थोड़ा निराशाजनक है। एक टीम के तौर पर हमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हमें विशेषीकरण टीम को थोड़ा देना होगा। उन्होंने मूंखला में बदबाव बनाया लेकिन घरेलू धरती पर खेलने से आप क्रिकेट को हल्के से नहीं ले सकते हैं।' तब ने कहा कि भारत को इस मूंखला से सीख लेनी होगी और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने कहा, 'हमें इससे सीख लेना होगा कि एक टीम के रूप में आप बहाना नहीं दे सकते हैं। हमें अपनी मानसिकता स्थिर रखनी होगी। हमें इससे सीखना होगा और बेहतर बनना होगा।'

इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने स्टीफन कारिया कि दक्षिण अफ्रीका ने पूरे मूंखला में बेहतर क्रिकेट खेती।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

एसआईआर से समस्या क्यों?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान दिवस के अवसर पर एसआईआर के बारे में जो बयान दिया, उसमें सच्चाई कम और भ्रम ज्यादा है। सबसे बड़ा बयान तो यही है कि ममता और कर्ण नेताओं को एसआईआर से समझा क्यों हैं? यह प्रक्रिया कोई पहली बार तो नहीं हो रही है। इसके तहत मतदाता सूची में मौजूद खामियों को दूर किया जा रहा है। अब जबकि एसआईआर हो रहा है तो कुछ नेता इस लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। अगर एसआईआर समानानुसार नहीं होता तो भी कुछ नेता इस लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रहे होते। ममता बनर्जी एसआईआर को एनआरसी से जोड़कर प्रचारित कर रही हैं, जबकि दोनों प्रक्रियाएं पूरी तरह अलग हैं। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता का निर्धारण नहीं कर रहा है। वह मतदाता सूची का विश्लेषण गहन पुनरीक्षण कर रहा है। अगर इस दौरान सूची में अपात्र लोग पाए जाएंगे तो क्या उनका नाम नहीं काटना चाहिए? ये नेतागण लोकतंत्र का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। मतदाता सूची से अपात्र लोगों के नाम काटने और पात्र लोगों के नाम जोड़ने से लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा? इस सूची में अपात्र लोगों के नाम क्यों होने चाहिए? क्या देश ऐसे चलेगा कि कोई भी व्यक्ति यहां आकर मतदाता बन जाए? ममता बनर्जी एक बार बांग्लादेश सीमा से आ रहे वीडियो देखें। सिर पर गधरी और हाथ में थैला लेकर जा रहे ये लोग कौन हैं? अचानक इनके झुंड बांग्लादेश का रुख क्यों करने लगे? क्या ढाका में इन सबकी लॉटरी लग गई है?

एएसआईआर के बारे में सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, जो पकड़े जाने के उर से भाग रहे हैं। कुछ नेताओं को इसलिफ विक्रम हो रही है, क्योंकि उनका बोवेंक हाथ से निकलता जा रहा है। अगर पूरे देश में भलीभांति एसआईआर हो जाए तो भविष्य में एनआरसी की ज्यादा जरूरत ही न पड़े। अभी प. बंगाल से घुसपैठिए निकल रहे हैं। फिर, देश के कोने-कोने से घुसपैठिए निकल भागेंगे। सोशल मीडिया पर प. बंगाल के ऐसे वीडियो भी प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें कुछ लोग एसआईआर के बारे में अजीबो कुतर्क दे रहे हैं। वे संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में इस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं, जैसे नागरिकों पर मुसीबत का कोई पहाड़ टूट पड़ा! जो भारतीय नागरिक हैं, उसे न पुरी कुतर्कों को बढ़ावा देना चाहिए और न ही इन पर विश्वास करना चाहिए। चुनाव आयोग ने सत्यापन के लिए जो दस्तावेज मांगे हैं, वे हर भारतीय के घर में आसानी से मिल जाते हैं। कुछ लोग यह कहकर प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है! क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति / परिवार कई वर्षों से भारत में रह रहा है, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उसे नहीं पहचानते, तो वह कोन है? इसके पीछे यह वजह बताता जा रही है कि दस्तावेज नहीं, लेकिन बाद में हो गए। आज ज्यादातर दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उनकी प्रतिलिपियां डाउनलोड की जा सकती हैं, मंगवाई जा सकती हैं। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इस समय सरकार किसी योजना की घोषणा कर आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दे तो लोग कागज ही कागज ले आएंगे। जो बांग्लादेशी स्वदेशी लौट रहे हैं, उनके लिए यह कहकर पक्ष में माहौल बनाना अनुचित है कि 'गरीब लोगों को निपाळा जा रहा है।' क्या गरीब लोग भारत में कम हैं? बांग्लादेश के गरीबों को रोजगार देना भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब स्वदेश अलग हैं तो उनकी सरकारों की जिम्मेदारियां भी अलग हैं। बांग्लादेशियों को स्वदेश जाना ही चाहिए और बाद में मो. यूनूस से रोजगार मांगना चाहिए। एसआईआर आर सीर में नहीं रुकना चाहिए।

ट्वीटर टॉक



आज ही के दिन वर्ष 1949 में हमारे संविधान मनीषियों के अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से हमें ऐसा महान संविधान मिला, जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व तथा हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। हमारा संविधान हमारा गौरव है।

-ओम बिरला

आज जयपुर मिलिट्री स्टेशन के गांडीव स्टेडियम में स्पेशल ओलिंपिक भारत द्वारा साउथ वेस्ट कमांड के सहयोग से आयोजित स्टेट गेम्स एथलेटिक्स 2025 का शुभारंभ कर सभी ऊर्जावान एथलीट्स का उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित की।



-दिया कुमारी

संविधान केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह भारत के उज्ज्वल सपनों की दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। आइए, आज प्रण करें कि अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से करेंगे।



-नरेन्द्र मोदी

प्रेरक प्रसंग

अनमोल भक्ति

आ चार्य विनोबा भावे रेलगाडी से वर्धा जा रहे थे। उसी ट्रेन के डिब्बे में एक वृद्ध फकीर भी चढ़ा। फकीर ने भक्ति भाव से एक गीत गाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज और गीतों के भावों को सुनकर विनोबा जी भावविभोर हो उठे। डिब्बे में अन्य यात्री भी फकीर के गायन के जादू से मंत्रमुग्ध हो रहे थे। उसी डिब्बे में एक धनाढ्य जमींदार भी बैठा था। उसने अपने जेब से पांच रुपये का नोट निकाला और फकीर से बोला, ‘एक-एक पैसा इइइइ करूँ से भला वधा होगा?’ फकीर ने रुपये देता हँ, बस शर्त यह है कि तुम भजन की भक्ति पहननी गीत गाओ।’ फकीर ने जवाब दिया, ‘मैंने नियम बना रखा है कि परमात्मा के अलावा किसी की भी वाणी से प्रशंसा नहीं करूँगा।’ जमींदार ने फिर तो रुपये का नोट निकाला और कहा, ‘नियम-वियम को ताक पर रखो, यहाँ से रुपये लो और फकिरनी गीत गाओ।’ फकीर ने शक्तिपूर्वक उत्तर दिया, ‘आप एक लाख रुपये देंगे तब भी मैं भगवान की स्तुति के अलावा किसी और के गीत नहीं गाऊँगा।’ फकीर के इन शब्दों को सुनकर आचार्य विनोबा भावे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उठकर उसे गले से लगा लिया और बोले, ‘आज पता चला है कि सूत्रदास, तुलसीदास और मीराबाई की परंपरा के संकेत अभी भी इस पृथ्वी पर हैं।’

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyani Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act). Group Editor - Shreekanth Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law. **Regn No.RNI No. : TNMHIN / 2013 / 52520**

सामयिक

आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की अनिवार्य पुकार

નૃપેન્દ્ર અભિષેક 'નૃપ'

मोबाइल : 9955818270



राष्ट्र की सुरक्षा किसी भी संक्रमण देश की की रीढ़ होती है। यह केवल सीमा पर तैनात जवानों की बहादुरी का प्रश्न नहीं, बल्कि उन वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का भी परिणाम है, जो किसी राष्ट्र को मजबूत रक्षात्मकता का आधार प्रदान करती हैं। भारत में तैयारियों एक दशक में निरंतर हो रही हैं। भारत में पिछले एक दशक में निरंतर हो रही हैं। भारत में निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वह न केवल बदलते वैश्विक परिदृश्य का अनिवार्य परिणाम है, बल्कि उन चुनौतियों का उत्तर भी है जो आई हैं। तकनीकी, आधुनिक युद्धक रणनीतियों और जटिल सुरक्षा परिवेश के कारण प्रसर रही हैं। संदर्भ में तेजस लड़ाकू विमान के विकास, उसके परीक्षण, उसके साथ घटित घटना और उससे निकले संकट हमें यह समझना का अवसर देते हैं कि आत्मनिर्भरता का मार्ग किनता जटिल और जरूरी है। भारतीय रक्षा तकनीकी विकास के इतिहास में तेजस एक ऐसा अध्याय है, जिसने देश को वैश्विक मंच पर नए आयामों के साथ खड़ा किया। 2007 में इसके निर्माण की शुरुआत के साथ ही भारत ने यह संदेश दिया कि वह अपने लड़ाकू विमानों को पूरी तरह देश में विकसित करने की क्षमता रखता है। जुलाई 2016 में जब भारतीय वायुसेना ने तेजस के पहले स्टाइज़्ड गठन किया, तो यह केवल एक विमान की उड़ान नहीं थी, बल्कि भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और विविध रक्षा अनुसंधान संस्थानों की सामूहिक क्षमता का उद्घाटन था। यह वह क्षण था जहां अनुभव से अधिष्ठ संकल्प का महत्व दिखाई देता है, एक ऐसा राष्ट्र जो दशकों तक विदेशी रक्षा तकनीक पर निर्भर रहा, अब स्वयं के बलबूते पर आधुनिक विमान निर्माण में अग्रसर था। लेकिन विकास की इस यात्रा में चुनौतियाँ स्वाभाविक थीं। हाल ही में तेजस के एक विमान ने तकनीकी कारणों से आपातकालीन लैंडिंग की, जिससे देशभर में चर्चा और चिंता दोनों को जन्म दिया। यह घटना अपने आप में एक साधारण दुर्घटना नहीं थी, लेकिन उसने रक्षा प्रणाली में तकनीकी कमी परियोजना, निगरानी और उच्चतम मानकों की आवश्यकता को पुनः रेखांकित किया। हर उस देश में चाहे वह अमेरिका हो या रूस, ऐसे तकनीकी बाधाओं के उद्घाटन मिलते हैं। किंतु

पारत के संदर्भ में यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि यह समय उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ देश आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को न केवल लक्ष्य, बल्कि प्राथमिकता का विषय बना चुका है। तेजस की तकनीकी संरचना की बातां करो तो यह विमान आयुधनिक डिजाइन, हार्डवेयर कॉम्पोजिट ढांचे और उच्च सुरक्षा प्रणालियों का बेहतरीन संगम है। 'कार्बन फाइबर' से निर्मित उड़ने वाले ढांचे ने न केवल विमान का वजन कम किया, बल्कि उड़ान के दौरान इसकी स्थिरता और मजबूती को भी अत्युत्तम स्तर पर पहुँचाया। इसकी पल्लाई-बाय-वायवर प्रणाली, उन्नत एवियोनिक्स और चौथी पीढ़ी के मानकों पर आधारित क्षमताएँ इसे दुनिया के उन चुनिंदा विमानों की श्रेणी में शामिल करती हैं जो गुप्त, तकनीक और सुरक्षा में संतुलन बनाए रखते हैं। यहाँ के परिष्करण और संशोधनों के बाद तेजस एक नए स्तर पर उड़ान भरने वाला विमान बन चुका है। जिसे भारतीय वायुसेना लगातार उन्नत संस्करणों में शामिल कर रही है। किन्तु हर तकनीकी प्रगति के साथ ही तटस्थता के विकास में भी समस्याएँ आई, कभी इंजन के प्रदर्शन को लेकर, कभी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को लेकर और कभी उड़ान परिष्करण के दौरान आवश्यक संतुलन को लेना। हर समस्याओं को हल करने में वैज्ञानिकों ने अनपनीत दिन-रात खर्च किए। और यही बदलाव है जो आत्मनिर्भरता को मूर्त्यवान बनाता है। यदि किसी राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो उसे ऐसे संघर्षों से गुजरना ही पड़ता है। किसी विमान का एक पुर्जा भी यदि बाहर से ख़ुला जाते, तो सुरक्षा की एक छोटो-सी खिड़की संभल पाते, तो

हे, जिसे आधुनिक युद्धक परिदृश्य में कोई भी देश वहन नहीं कर सकता।

भारत की रक्षा नीति में इन दिनों दो स्पष्ट लक्ष्य दिखाई देते हैं— पहला, पूरी तरह स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और दूसरा, रक्षा निर्यात को नए स्तर पर ले जाना। 2013-14 में जहां भारत का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपये था, वहीं 2024-25 में यह 23,622 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह आंकड़ा केवल उत्पादन का नहीं, बल्कि भारतीय तकनीकी पर वैश्विक विधास का संकेत है। यह विधास एक दिन में नहीं बनता; यह वर्षों की लगातार मेहनत, प्रयोगों, असफलताओं और सुधारों की देन है। तेजस की हालिया तकनीकी समस्या ने नए तार फिर से चेतावनी दी है कि आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाना जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता को बचाई स्तर पर बनाए रखना भी है। रक्षा उपकरण को सामान्य औद्योगिक वस्तु नहीं होते। उनका एक-एक पूर्वा सैनिकों की जान, राष्ट्र की सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा होता है। इसीलिए उनकी गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता संभव नहीं। तेजस के किसी भी तकनीकी परिष्करण में आई त्रुटि केवल एक तकनीकी मामला नहीं, बल्कि एक सबक है कि सुधार की प्रक्रिया मार्ग रूकनी नहीं चाहिए और आत्मनिर्भरता का मार्ग केवल उत्पादन का नहीं, बल्कि उत्कृष्टता का मार्ग है। तेजस की घटना यह भी बताती है कि तकनीकी की दुनिया बदलते समय के साथ चुनौतियाँ होती जाती हैं। जैसे-जैसे युद्धक तकनीकी विकसित होती हैं, जैसे-जैसे उसके माफक भी कठोर होते हैं।

नजरिया

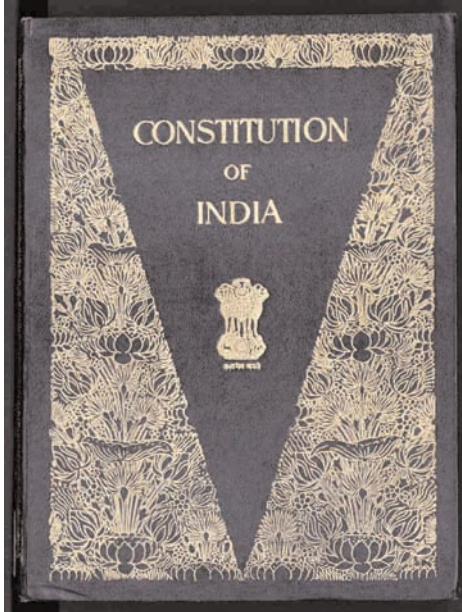
आक्रामक साजिशों के बीच संविधान की असल ताकत

संजय सक्सेना

मोबाइल : 8299050585

26 नवम्बर केवल एक तारीख नहीं, यह तारीख देश की आत्मा, उसके बुनियादी ढाँचे और जनता की सर्वोच्चता की याद दिलाने वाला दिन है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता संविधान दिवस पर अपने-अपने-अपने स्थानों पर तैयार रहते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं कि असली नैतिक शक्ति इस मोटी किताब में दर्ज जनता के अधिकारों से आती है। इसी पहलू से आज की राजनीति में संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि विचारधाराओं की टकराव, जनता के समर्थन की होड़ और भविष्य के भारत की दिशा तय करने का अहम मौका बन चुका है। सवाल यह उठता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो फिर संविधान दिवस 26 नवम्बर को क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर इतिहास के उस निर्णायक क्षण में छुपा है जब 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने बहस, मतभेद और भारी रूढ़न के बाद भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लगातार मेहनत के बाद तैयार हुए इस संविधान को उसी दिन स्वीकार किया गया था और यह दिन हमारे लोकतांत्रिक सफर की असली दस्तावेजी जन्मतिथि बन गया। बाद में 26 जनवरी को लागू करने के पीछे भी एक राजनीतिक और सांकेतिक निर्णय था, ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज संघर्ष की याद के

प्रायः गणराज्य की नई शुरुआत जाड़ी जा रही थी, इसलिए लागू होने की तारीख 26 जनवरी रखी गयी, जबकि अपनाने की ऐतिहासिक तारीख 26 नवम्बर ही रही। आज जो संविधान दिवस राजनीतिक बहस का केन्द्र है, वह दरअसल 2015 में एक नए रूप में सामने आया जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार ने 26 नवम्बर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि केवल गणतंत्र दिवस जैसे औपचारिक उत्सव से आगे बढ़कर साल में एक दिन ऐसा भी हो जो खास तौर पर नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से हर वर्ष इस दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों और सरकारी दफ्तरो में प्रस्तावना का सामूहिक पठन, गोष्ठियाँ, शपथ कार्यक्रम और बहसों का आयोजन होने लगा, जिसने इसे एक जीवंत राजनीतिक और सामाजिक उत्सव में बदल दिया। इस दिन संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सत्ता और जनमत के बीच संविधान का अनुबंध की सार्वजनिक पुनर्प्राप्ति होती है। राष्ट्रपति



जब प्रस्तावना और मूल अधिकारों पर जोर देती हैं, लोकप्रिय अध्याय संसद की गरिमा और मर्यादा की बात करते हैं। प्रथम मंची संविधान के प्रति निष्ठा दोहराते हैं, तो विपक्ष भी इस मंच को सरकार से सवाल करने और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर अपनी विज्ञा व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि आज संविधान दिवस पर राजनीति गर्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मंच सत्ता के चरित्र, नीतियों और मंशा की असली परीक्षा का दिन भी बन जाता है।

अब सवाल यह भी है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में इतने सालों में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं और उनका स्वरूप क्या रहा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसकी मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इसे समय के साथ बदलने और समाज की नई जरूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता दी गयी है। आज तक इसमें से से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कई ने देश की राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारों और शासन संरचना को गहरे तौर पर प्रभावित किया है; इन्हीं बड़े संशोधनों ने संविधान को केवल स्थिर दस्तावेज नहीं रहने दिया बल्कि एक जीवंत, बढती हुई व्यवस्था में बदल दिया। इन बड़े परिवर्तनों में सबसे प्रमुख स्थान 42वें संशोधन को दिया जाता है, जिससे अक्सर 'लघु संविधान' कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर मूल कर्तव्यों और केन्द्र-राज्य संबंधों तक कई बुनियादी हिस्सों को बदल दिया। इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ-निरेपक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गये और नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची पहली बार संविधान में दर्ज की गयी, जिससे अधिकारों के साथ कर्तव्यों की वैधानिक जिम्मेदारी भी रेखांकित हुई।

संविधान दिवस की राजनीति इसलिए भी अधिक तीखी हो गयी है क्योंकि यह दिन केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का भी दिन बनता जा रहा है। आज जब संसद में बहस होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नीडिया की आजादी, चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संघीय ढांचे की मजबूती कितनी सुरक्षित है, तो उसका सीधा संबंध संविधान, आत्मा से जुड़ जाता है; कोई भी दल खुलकर यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह संविधान से ऊपर है, इसलिए सब उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं।

यह संशोधन आपातकालीन दौर की राजनीति की दिग्गज था और आज भी इस पर बहस होती है कि इसने संविधान की मूल भावना को कितना मजबूत किया और कहाँ-कहाँ सत्ता के केंद्रीकरण का रास्ता खोला। 44वें संशोधन ने उसी आपातकालीन दौर की कई अतियों पर प्रहार करते हुए मूल अधिकारों की रक्षा को फिर से मजबूत किया और आपातकाल की घोषणा जैसे प्रावधानों को अधिक कठोर और जवाबदेह बनाया। इस संशोधन के जरिये यह प्रयास किया गया कि भविष्य में सत्ता किसी एक व्यक्ति या दल के हाथ में अत्यधिक केंद्रित होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचल न सके; यानी संविधान ने खुद अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया अपनाकर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नई दीवारें खड़ी कीं। इसी क्रम में बाद के संशोधनों ने चुनावी व्यवस्था, पांचायती राज, नगर निकायों और आरक्षण नीति तक को नए रूप में ढाला। 73वें और 74वें संशोधनों ने गाँव से लेकर शहर तक स्थानीय स्वशासन की नई नींव रखी, जिससे पांचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिली और आम नागरिक के दरवाजे पर लोकतंत्र की आवाजही बड़ी। इन संशोधनों ने महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूती दी, जो बाद में राज्यों द्वारा अलग-अलग स्तर पर और विस्तारित की गयी; इस तरह संविधान ने लोकतंत्र को केवल राजधानी और विधानसभा भवनों तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे मोहल्ले और गाँव की चौपाल तक पहुँचाया। इसी दौरान शिक्षा, नगर नियोजन और स्थानीय संसाधनों के नियंत्रण पर भी जनता और स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में संवैधानिक सुरक्षा मिली। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण से जुड़े संशोधन भी संविधान

में बड़े बदलव के रूप में दर्ज हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सामाजिक-न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाये गये। उच्चतम न्यायालय के फैसलों और राजनीतिक सहमति के बीच टकराव और समन्वय की कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को संतुलित किया गया, ताकि समता के आदर्श और प्रशासनिक दक्षता दोनों के बीच एक व्यावहारिक रास्ता निकल सके। हाल के वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाला संशोधन भी इसी बहस का हिस्सा है, जो दिखाता है कि संविधान की मूल्यव्यवस्था केवल जाति आधारित पिछड़ेपन तक सीमित नहीं रखी जा रही। इन सभी बड़े संशोधनों के बावजूद संविधान की प्रस्तावना में दर्ज न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बहुल्य के मूल आदर्श अचल वही हैं, जिन पर पूरी राजनीतिक बहस घूमती है। आज सत्ता पक्ष इन्हीं आदर्शों के नाम पर अपनी नीतियों को जनता के सामने न्यायोचित ठहराता है, तो विपक्ष भी इन्हीं आदर्शों का हवाला देकर सरकार पर हमला बोलता है कि कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाएँ कमजोर की जा रही हैं या अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। इसी टकराव में नागरिकों की भूमिका निर्णायक बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला मतदाता के हाथ में होता है, जो संविधान को अपने पेट से ज़िंदा रखता है।

साविधान दिवस की राजनीति इसलिये ही अधिक तीखी हो गयी है क्योंकि यह दिन केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का भी दिन बनता जा रहा है। आज जब संसद में बहस होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आज़ादी, चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संघीय ढांचे की मजबूती किन्तुनी सुरक्षित है, तो उसका सीधा संबंध सिंधिधान की आत्मा से जुड़ जाता है; कोई भी दल खुलकर यह टीकाकार न हो कर सक्ता कि वह सिंधिधान से ऊपर है, इसलिए सब उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। यही सिंधिधान की असली ताकत है कि हर दल, हर नेता, हर आंदोलन को अंततः उसी फिताब का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पहली पंक्ति जनता को सर्वोच्च बताती है। आज भी जब संसद के बाहर नारों, टीवी बहसों और सामाजिक माध्यमों पर आरोप-प्रत्यारोप का शोर मूँजता है, तब भी सिंधिधान की प्रस्तावना शांत, स्पष्ट और अडिग खड़ी रहती है। यह दिन याद दिलाता है कि सरकारें आयेगी, जायेंगी, बहुमत बदलेंगे, नारे बारी हो जायेंगे, लेकिन अगर नागरिक सचेत रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, तो सिंधिधान किसी भी तानाशाही इरादे को मात दे सकता है। इसी बेतना को जिंदा रखना ही सिंधिधान दिवस का असली उद्देश्य है, और यही वजह है कि इस दिन की राजनीति जितनी गरम होगी, जनता के लिए सिंधिधान की रक्षा की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती जाएगी।

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (बैंगरिङ, मॉफीक, टेंडर एवं सवायरी स्पार्डि) पर कोंट्री भी कार्यवाही, प्रविष्टिगत या घनशक्ति या वृक्ष कर्ने से पूर्व इस विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त करें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाताओं में किसी जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं बना सकता।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

